भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-461

जिसका उत्तर 11 अगस्त, 2014 को दिया जाना है ।

राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के विद्युत संयंत्रों में
कोयले का सीमित भंडार

***461. श्री अविनाश पांडेः**

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने मंत्रालय को यह सूचना दी है कि इसके विद्युत संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति अपर्याप्त है और उनके पास कोयले का सीमित भंडार है जो कोयले की आपूर्ति में मामूली व्यवधान को भी झेल पाने में सक्षम नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा क्या-क्या उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

<u>विवरण</u>

"राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के विद्युत संयंत्रों में कोयले का सीमित भंडार" के बारे में राज्य सभा में दिनांक 11.08.2014 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 461 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

****

(क) : जी हाँ।

(ख) : इस स्थिति में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं:-

(i) कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा घरेलू कोयले के उत्पादन को चालू वर्ष के लक्ष्यों से भी अधिक बढ़ाने के लिए संगठित प्रयास किए जा रहे हैं।

(ii) विद्युत यूटिलिटियों को सलाह दी गई है कि जहाँ भी आवश्यक हो, वे आयातित कोयले का प्रयोग करें।

(iii) सरकार में उच्च स्तर पर, कोयले की उपलब्धता की नियमित रूप से गहनता से निगरानी की जा रही है।

उपर्युक्त उपायों के परिणामस्वरूप, एनटीपीसी विद्युत संयंत्रों को घरेलू स्रोतों से कोयले की मासिक आपूर्ति, जून, 2014 के दौरान 82% की आपूर्ति की तुलना में जुलाई, 2014 के दौरान बढ़कर 96% हो गई है। एनटीपीसी ने जुलाई, 2014 के दौरान 9.26 लाख टन कोयले का आयात भी किया है।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-468

जिसका उत्तर 11 अगस्त, 2014 को दिया जाना है ।

उत्तराखंड में विद्युत कंपनियों द्वारा स्थानीय सामाजिक दायित्व संबंधी व्यय

***468. श्री महेन्द्र सिंह माहराः**

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या उत्तराखंड की विद्युत परियोजनाओं में स्थानीय सामाजिक दायित्व का निर्वहन करने हेतु धनराशि का कोई प्रावधन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो आज तक इस मद में विभिन्न विद्युत कंपनियों द्वारा कितनी धनराशि जमा की गई है;

(ग) टिहरी हाइड्रोइलेक्ट्रिक डेवलपमेन्ट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. द्वारा इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि जमा की गई और इसे कहां-कहां उपयोग किया गया है;

(घ) विद्युत कंपनियों द्वारा राज्य के बाहर सामाजिक दायित्वों पर व्यय की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) स्थानीय सामाजिक दायित्वों का निर्वहन नहीं कर पाने वाली कंपनियों के खिलाफ की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ङ) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

विवरण

"उत्तराखण्ड में विद्युत कंपनियों द्वारा स्थानीय सामाजिक दायित्व संबंधी व्यय" के बारे में राज्य सभा में दिनांक 11.08.2014 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 468 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

****

(क) और (ख) : जी, हाँ। विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (सीपीएसयू) अपने परियोजना क्षेत्रों में स्थानीय सामाजिक दायित्वों के लिए निधियों का प्रावधान रखते हैं। उपलब्ध सूचना के अनुसार, इन सीपीएसयू द्वारा, उत्तराखण्ड में रहते हुए किए गए व्यय का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

(i) टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड ने उत्तराखण्ड में 2013-14 तक 67.60 करोड़ रूपए का व्यय किया है।
(ii) एसजेवीएन लिमिटेड ने उत्तराखण्ड में 2013-14 तक 1.94 करोड़ रूपए का व्यय किया है।
(iii) एनएचपीसी लिमिटेड ने उत्तराखण्ड में 2013-14 तक 1.31 करोड़ रूपए का व्यय किया है।
(iv) एनटीपीसी लिमिटेड ने उत्तराखण्ड में 2013-14 तक 7.0 करोड़ रूपए का व्यय किया है।

(ग) : टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड द्वारा 2013-14 तक विभिन्न क्षेत्रों में सीएसआर कार्यों के लिए किए गए व्यय का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

(राशि लाख रूपए में)

क्रम सं.	**कार्य के क्षेत्र**	**व्यय की गई राशि**
1	शैक्षणिक विकास	221.65
2	आर्थिक एवं सामुदायिक विकास	582.49
3	स्वास्थ्य एवं पशु देखभाल	126.99
4	पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन	62.65
5	आधारभूत सुविधाओं का विकास	986.92
6	महिला सशक्तिकरण एवं शिशु देखभाल	73.97
7	आपातकालीन आवश्यकता	23.84
8	अन्य सामाजिक कल्याण के कार्य-कलाप	175.41
9	प्रशासनिक व्यय	132.77
10	टीएचडीसी हाइड्रो अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान का निर्माण	2850.94
11	टीएचडीसी शिक्षा सोसायटी (टीईएस) के माध्यम से विद्यालय चलाना	1522.9
सीएसआर के अंतर्गत कुल व्यय		**6760.53**

(घ) : उपलब्ध सूचना के अनुसार, उपर्युक्त (क) और (ख) में उल्लिखित सीपीएसयू द्वारा उत्तराखण्ड राज्य से बाहर सामाजिक दायित्वों पर व्यय की गई निधियों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

(i) टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड ने 2013-14 के दौरान 0.13 करोड़ रूपए खर्च किए हैं।
(ii) एसजेवीएन लिमिटेड ने 2013-14 के दौरान 14.03 करोड़ रूपए खर्च किए हैं।
(iii) एनएचपीसी लिमिटेड ने 2013-14 के दौरान 30.57 करोड़ रूपए खर्च किए हैं।
(iv) एनटीपीसी लिमिटेड ने 2013-14 के दौरान 101.28 करोड़ रूपए खर्च किए हैं।

(ङ) : उपर्युक्त (क) से (घ) में दी गई सूचना के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-469

जिसका उत्तर 11 अगस्त, 2014 को दिया जाना है ।

निजी विद्युत उत्पादकों द्वारा अधिक प्रशुल्क की मांग

***469. श्री मोहम्मद अली खानः**

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या निजी विद्युत उत्पादों ने अधिक प्रशुल्कों की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अब तक क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

<u>विवरण</u>

"निजी विद्युत उत्पादकों द्वारा अधिक प्रशुल्क की मांग" के बारे में राज्य सभा में दिनांक 11.08.2014 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 469 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

****

(क) : केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, निम्नलिखित उत्पादन कंपनियों ने अंतर्राष्ट्रीय कोयला कीमतों में वृद्धि और इंडोनेशिया सरकार के उस विनियम के प्रभाव के कारण राहत के लिए आयोग से संपर्क किया है, जिसमें उस देश से कोयले के निर्यात के लिए कोयले की कीमत अंतर्राष्ट्रीय कीमत के समान रखे जाने के लिए दीर्घावधि ईंधन आपूर्ति करार अपेक्षित थाः

(i) अदानी पावर लिमिटेड
(ii) कोस्टल गुजरात पावर लिमिटेड
(iii) कोस्टल आंध्र पावर लिमिटेड

केंद्रीय विद्युत विनायमक आयोग ने यह भी सूचित किया है कि रिलायंस पावर लिमिटेड ने भी झारखण्ड इंटीग्रेटिड पावर लिमिटेड और सासन पावर लिमिटेड के संबंध में अनिवार्य बाध्यता और कानून में परिवर्तन वाले दावों और विवादों के अधिनिर्णय के लिए आयोग से संपर्क किया है। इसके अतिरिक्त, जीएमआर-कमलंगा एनर्जी लिमिटेड और ईएमसीओ पावर लिमिटेड ने भी विद्युत क्रय करारों (पीपीए) के अंतर्गत अनिवार्य बाध्यता और कानून में परिवर्तन वाले दावों और विवादों के अधिनिर्णय के लिए आयोग से संपर्क किया है।

(ख) : अदानी पावर लिमिटेड और कोस्टल गुजरात पावर लिमिटेड के मामले में, आयोग ने याचिका संख्या 155/एमपी/2012 और 159/एमपी/2012 में दिनांक 21.02.2014 के आदेशों के माध्यम से इंडोनेशिया के उन विनियमों के प्रख्यापन के कारण कोयले की बढ़ी हुई कीमत के प्रभाव की क्षतिपूर्ति के लिए उत्पादन स्टेशनों की संबंधित यूनिटों को निर्धारित रूप से चालू किए जाने (एससीओडी) से प्रतिपूरक प्रशुल्क प्रदान किया है जिनमें दीर्घावधि संविदाओं में कोयले की कीमतों को अंतर्राष्ट्रीय कीमत के समान रखा जाना अपेक्षित था। इस प्रतिपूरक प्रशुल्क की प्रकृति परिवर्तनीय है और इंडोनेशिया के विनियमों के कारण उत्पादन कंपनियों के सामने आ रही कठिनाइयों से जुड़ी है।

तथापि, विद्युत प्रापकों/राज्यों ने विद्युत संबंधी अपीलीय प्राधिकरण (एपटेल) के समक्ष केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग के आदेश के विरूद्ध याचिका दायर की है। एपटेल ने दिनांक 21.07.2014 को अंतरिम आदेश पारित किया है जो निम्नानुसार हैः

"(i) हम लाभग्राही आवेदकों को केंद्रीय आयोग के प्रतिवाद आदेशों के अनुसार वर्तमान भुगतान अर्थात मार्च, 2014 से भुगतान करने का निदेश देते हैं।

(ii) जून, 2014 के दौरान आपूर्ति की गई ऊर्जा के लिए जुलाई, 2014 में दिए गए बिल केंद्रीय आयोग के प्रतिवाद आदेशों के अनुसार पूर्ण रूप से तैयार किए जाएंगे। मार्च, 2014 से मई, 2014 तक की बकाया राशि का भुगतान जुलाई, 2014 के अंत से आगे छः समान किश्तों में किया जायेगा।

(iii) प्रतिवादी उत्पादक कंपनियां उनके द्वारा लाभग्राही आवेदकों से प्रतिपूरक प्रशुल्क के रूप में प्राप्त राशि का लेखा-जोखा रखेंगी। अपील स्वीकृत होने की स्थिति में, इस प्राप्त राशि को ब्याज सहित लाभग्राही आवेदकों/अपीलकर्ताओं को वापिस किया जाना होगा।

(iv) लाभग्राही आवेदकों द्वारा 01.04.2012 से 28.02.2014 तक की बकाया राशि के भुगतान के संबंध में पूर्व प्रभावी निदेश का, अपील का निपटान होने तक अनुपालन किए जाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वह अंतिम निपटान के पश्चात इन अपीलों के परिणाम के अध्यधीन होगा।"

इसके अतिरिक्त, यह मामला न्यायाधीन है।

कोस्टल आंध्र पावर लिमिटेड, झारखण्ड इंटीग्रेटिड पावर लिमिटेड और सासन पावर लिमिटेड, जीएमआर-कमलंगा एनर्जी लिमिटेड और ईएमसीओ पावर लिमिटेड के मामले में, आयोग द्वारा याचिकाओं की सुनवाई की गई है/सुनवाई के लिए सूची में रखा गया है।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-476

जिसका उत्तर 11 अगस्त, 2014 को दिया जाना है ।

गैस आधारित विद्युत संयंत्र

***476. श्री नारायण लाल पंचारियाः**

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने विभिन्न राज्यों को गैस आधारित विद्युत परियोजनाओं को प्रारंभ करने के संबंध में निर्देश दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी, राज्य-वार, ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या राजस्थान सरकार से इस संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ग) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

<u>विवरण</u>

"गैस आधारित विद्युत संयंत्र" के बारे में राज्य सभा में दिनांक 11.08.2014 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 476 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

****

(क) और (ख) : जी, नहीं। इसके विपरीत इस मंत्रालय ने गैस आधारित विद्युत संयंत्रों के सभी विकासकर्ताओं को 14.03.2012 को एक परामर्शिका जारी की थी कि वे अतिरिक्त घरेलू गैस उपलब्ध न होने के कारण वर्ष 2015-16 तक किसी भी घरेलू गैस आधारित विद्युत संयंत्र की योजना न बनाएं।

(ग) : राजस्थान सहित विभिन्न राज्य सरकारों से, पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय को गैस आधारित विद्युत परियोजनाओं के लिए गैस के आबंटन हेतु अनुरोध प्राप्त हुए थे जिन्हें 24.02.2012 को आयोजित अधिकारप्राप्त मंत्री समूह (ईजीओएम) की बैठक में उनके समक्ष रखा गया था। तथापि, ईजीओएम द्वारा कोई आबंटन नहीं किया गया।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-480

जिसका उत्तर 11 अगस्त, 2014 को दिया जाना है ।

दाभोल विद्युत संयंत्र को गैस की अनियमित आपूर्ति

***480. श्री संजय राउतः**

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि रत्नागिरी गैस एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड के दाभोल विद्युत संयंत्र को इस समय रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड के के.जी. बेसिन से प्राकृतिक गैस की अनियमित आपूर्ति के कारण अत्यधिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार ने इस संयंत्र को इसकी संपूर्ण क्षमता से चलाने के लिए क्या-क्या कदम उठाए हैं अथवा उठाने का विचार रखती है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ग) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

<u>विवरण</u>

"दाभोल विद्युत संयंत्र को गैस की अनियमित आपूर्ति" के बारे में राज्य सभा में दिनांक 11.08.2014 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 480 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

****

(क) से (ग) : जी, हां। कृष्णा गोदावरी धीरूभाई-6 (केजी डी-6) बेसिन से 7.6 मिलियन मीट्रिक स्टैण्डर्ड क्यूबिक मीटर प्रतिदिन (एमएमएससीएमडी) प्राकृतिक गैस के आबंटन की तुलना में रत्नागिरी गैस एण्ड पावर प्राइवेट लिमिटेड (आरजीपीपीएल) के दाभोल पावर प्लांट को मार्च, 2013 से गैस की आपूर्ति शून्य हो गई है।

इस मंत्रालय ने दिनांक 28.03.2014 के पत्र द्वारा पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय को सुझाव दिया है कि 2014-15 के दौरान विद्युत क्षेत्र को उपलब्ध होने वाली लगभग 4 एमएमएससीएमडी तक की अतिरिक्त घरेलू गैस आरजीपीपीएल को उपलब्ध कराई जाए।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3458

जिसका उत्तर 11 अगस्त, 2014 को दिया जाना है ।

विद्युत की मांग तथा आपूर्ति

3458. श्री के. एन. बालगोपालः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के पास आज की तिथि के अनुसार प्रत्येक राज्य में विद्युत की मांग एवं वास्तविक उपलब्धता के आंकलन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्ष 2020 में विद्युत की मांग तथा उत्पादन क्या होंगे?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : चालू वर्ष अर्थात अप्रैल, 2014 से जुलाई, 2014 के दौरान ऊर्जा की व्यस्ततम मांग एवं उपलब्धता का राज्य-वार ब्यौरा **अनुबंध** में दिया गया है ।

(ग) : एकीकृत उत्पादन की योजना पंचवर्षीय योजना-वार तैयार की जाती है। इन योजना अनुमानों के आधार पर **13**वीं योजना के अंत अर्थात अन्तिम वर्ष 2021-22 तक व्यस्ततम विद्युत भार 435 गीगावाट की प्रत्याशित संस्थापित उत्पादन क्षमता की तुलना में लगभग 283 गीगावाट होगा ।

****

अनुबंध

राज्य सभा में दिनांक 11.08.2014 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 3458 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

****

2014-15 के लिए विद्युत आपूर्ति (अनंतिम)								
	ऊर्जा				व्यस्ततम			
राज्य/क्षेत्र	अप्रैल, 2014 - जुलाई, 2014				अप्रैल, 2014 - जुलाई, 2014			
	आवश्यकता	उपलब्धता	अधिशेष/कमी (-)		व्यस्ततम मांग	व्यस्ततम आपूर्ति	अधिशेष/कमी (-)	
	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	(%)	(मेगावाट)	(मेगावाट)	(मेगावाट)	(%)
चंडीगढ़	626	626	0	0	352	352	0	0
दिल्ली	11,480	11,399	-81	-0.7	6,006	5,925	-81	-1.3
हरियाणा	16,417	16,356	-61	-0.4	8,752	8,752	0	0.0
हिमाचल प्रदेश	2,965	2,937	-28	-0.9	1,316	1,295	-21	-1.6
जम्मू और कश्मीर	5,317	4,255	-1,062	-20.0	2,422	1,938	-484	-20.0
पंजाब	19,286	19,022	-264	-1.4	12,212	10,377	-1,835	-15.0
राजस्थान	21,020	20,882	-138	-0.7	9,403	9,403	0	0.0
उत्तर प्रदेश	36,352	31,299	-5,053	-13.9	15,670	11,968	-3,702	-23.6
उत्तराखंड	4,214	4,116	-98	-2.3	1,833	1,833	0	0.0
उत्तरी क्षेत्र	117,677	110,892	-6,785	-5.8	51,112	47,232	-3,880	-7.6
छत्तीसगढ़	6,940	6,849	-91	-1.3	3,450	3,350	-100	-2.9
गुजरात	32,958	32,940	-18	-0.1	13,655	13,519	-136	-1.0
मध्य प्रदेश	16,775	16,679	-96	-0.6	7,388	7,033	-355	-4.8
महाराष्ट्र	46,767	45,835	-932	-2.0	19,749	18,658	-1,091	-5.5
दमन एवं दीव	734	734	0	0.0	297	297	0	0.0
दादर नागर हवेली	1,794	1,794	0	0.0	679	679	0	0.0
गोवा	1,453	1,450	-3	-0.2	501	489	-12	-2.4
पश्चिमी क्षेत्र	107,421	106,281	-1,140	-1.1	43,170	42,365	-805	-1.9
आंध्र प्रदेश	25,773	23,452	-2,321	-9.0	7,144	6,158	-986	-13.8
तेलंगाना	8,085	7,394	-691	-8.5	6,991	5,949	-1,042	-14.9
कर्नाटक	21,491	20,169	-1,322	-6.2	10,001	9,503	-498	-5.0
केरल	7,485	7,322	-163	-2.2	3,760	3,495	-265	-7.0
तमिलनाडु	34,053	32,995	-1,058	-3.1	13,663	13,498	-165	-1.2
पुडुचेरी	861	850	-11	-1.3	389	348	-41	-10.5
लक्षद्वीप	16	16	0	0	8	8	0	0
दक्षिणी क्षेत्र	97,748	92,182	-5,566	-5.7	39,094	35,698	-3,396	-8.7
बिहार	5,709	5,580	-129	-2.3	2,620	2,470	-150	-5.7
डीवीसी	6,268	6,219	-49	-0.8	2,610	2,590	-20	-0.8
झारखंड	2,487	2,464	-23	-0.9	1,060	1,037	-23	-2.2
ओडिशा	9,407	9,232	-175	-1.9	3,814	3,764	-50	-1.3
प. बंगाल	17,318	17,227	-91	-0.5	7,544	7,524	-20	-0.3
सिक्किम	129	129	0	0.0	80	80	0	0.0
अंडमान निकोबार-	80	60	-20	-25	40	32	-8	-20
पूर्वी क्षेत्र	41,318	40,851	-467	-1.1	16,628	16,342	-286	-1.7
अरूणाचल प्रदेश	196	188	-8	-4.1	118	116	-2	-1.7
असम	2,848	2,619	-229	-8.0	1,343	1,230	-113	-8.4
मणिपुर	197	187	-10	-5.1	131	125	-6	-4.6
मेघालय	576	485	-91	-15.8	299	297	-2	-0.7
मिजोरम	142	134	-8	-5.6	83	82	-1	-1.2
नागालैंड	196	188	-8	-4.1	120	117	-3	-2.5
त्रिपुरा	382	358	-24	-6.3	246	246	0	0.0
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	4,537	4,159	-378	-8.3	2,263	2,045	-218	-9.6
अखिल भारतीय	368,701	354,365	-14,336	-3.9	148,166	140,633	-7,533	-5.1

लक्षद्वीप एवं अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में स्टैंड अलोन सिस्टम हैं, इनकी विद्युत की आपूर्ति स्थिति क्षेत्रीय व्यस्ततम मांग/व्यस्ततम पूरी की गई मांग का भाग नहीं होती है।

टिप्पणी : अप्रैल-मई, 2014 की अवधि के लिए आंध्र प्रदेश के ऊर्जा आंकड़ों में गैर-विभाजित आंध्र प्रदेश (तेलंगाना क्षेत्र सहित) के आंकड़े शामिल हैं। तेलंगाना के ऊर्जा आंकड़े जून, 2014 से है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के व्यस्ततम आंकड़े जून, 2014 से है। यह जून, 2014 से आंध्र प्रदेश का, आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना में विभाजन होने के कारण है।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3459

जिसका उत्तर 11 अगस्त, 2014 को दिया जाना है ।

पंजाब की जलविद्युत परियोजनाओं में राजस्थान की हिस्सेदारी

3459. श्री नारायण लाल पंचारियाः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या पंजाब की जल विद्युत परियोजनाओं में हिस्सेदारी से संबंधित कोई समझौता केन्द्र सरकार तथा पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की राज्य सरकारों के मध्य हस्ताक्षरित हुआ था;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न परियोजनाओं में राजस्थान का हिस्सा कितना था तथा वर्ष-वार राजस्थान को कितना उपलब्ध करवाया गया; और

(ग) क्या जल विद्युत परियोजनाओं में हिस्सेदारी को लेकर राज्यों में कोई विवाद है; और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ग) : पंजाब, हरियाणा और राजस्थान राज्यों तथा भारत सरकार के बीच दिनांक 10.05.1984 को हुए करार में यह सहमति हुई थी कि आनंदपुर साहिब हाइडल प्रोजेक्ट, मुकेरियन हाइडल प्रोजेक्ट, थीन डैम प्रोजेक्ट, यूबीडीसी चरण-॥ और शाहपुर काण्डी हाइडल स्कीम में विद्युत की हिस्सेदारी के लिए हरियाणा और राजस्थान द्वारा किए गए दावों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार उच्चतम न्यायालय की राय जानने के लिए मामले को संदर्भित करेगी। माननीय उच्चतम न्यायालय से यह राय ली जानी थी कि क्या राजस्थान और हरियाणा राज्य इन हाइडल स्कीमों से उत्पादित विद्युत की हिस्सेदारी के पात्र हैं और यदि वे पात्र हैं तो प्रत्येक राज्य का हिस्सा कितना होगा।

तथापि, उसके पश्चात पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के मुख्यमंत्रियों के बीच दिनांक 29-30 जुलाई, 1992 और 6 अगस्त, 1992 को विचार-विमर्श हुआ और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि मामले को माननीय उच्चतम न्यायालय में संदर्भित नहीं किया जाएगा। यह निर्णय भी लिया गया था कि राज्य पारस्परिक परामर्श से यथोचित सहमति पर पहुंचेंगे। मामले के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए कई औपचारिक एवं अनौपचारिक बातचीत की गई। तथापि, पणधारी राज्यों के अलग-अलग मतों के कारण अब तक कोई सहमति नहीं बन पाई है।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3460

जिसका उत्तर 11 अगस्त, 2014 को दिया जाना है ।

केंद्रीय जल आयोग के समक्ष लंबित जल विद्युत परियोजनाएं

3460. श्री भूपिंदर सिंहः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) केंद्रीय जल आयोग के समक्ष कब से राज्य-वार कितनी प्रमुख जलविद्युत परियोजनाएं लंबित पड़ी हुई हैं;

(ख) यदि सभी लंबित परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान कर दी जाती है, तो राज्य-वार कितने-कितने भू-क्षेत्र सिंचित हो जाएंगे;

(ग) इन परियोजनाओं से राज्य-वार विद्युत उत्पादन की मात्रा कितनी होगी; और

(घ) सरकार द्वारा इन परियोजनाओं को पूरा करने हेतु क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : कुल 10589.5 मेगावाट की संस्थापित क्षमता वाली 29 जल विद्युत परियोजनाएं (एचईपी) केन्द्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) के पास मूल्यांकन के लिए हैं। इनमें से कुल 1159.5 मेगावाट की संस्थापित क्षमता वाली 10 परियोजनाएं बहुउद्देशीय जल संसाधन परियोजनाएं (**अनुबंध-I** पर दिए ब्यौरे के अनुसार) हैं, जिनमें विद्युत और सिंचाई दोनों घटक हैं तथा कुल 9430 मेगावाट की संस्थापित क्षमता वाली 19 जल विद्युत परियोजनाएं (**अनुबंध-II** पर दिए ब्यौरे के अनुसार) केवल विद्युत घटक वाली हैं।

(ख) : इन परियोजनाओं से सिंचित की जाने वाली कुल भूमि 1176961 हेक्टेयर है। परियोजना-वार ब्यौरा अनुबंध-I पर दिया गया है।

(ग) : अनुबंध-। और ॥ पर दिए गए ब्यौरे के अनुसार विकासकर्ता द्वारा यथा प्रस्तावित इन परियोजनाओं से विद्युत उत्पादन/(संस्थापित क्षमता) की मात्रा 10589.5 मेगावाट (1159.5 मेगावाट बहुउद्देशीय परियोजनाओं से तथा 9430 मेगावाट विद्युत परियोजनाओं से) है।

(घ) : बहुउद्देशीय परियोजना हेतु सीडब्ल्यूसी के मौजूदा दिशा निर्देशों के अनुसार, केन्द्रीय डिजाइन संगठन (सीओडी) की मौजूदगी वाले राज्यों के लिए परियोजनाओं हेतु मूल्यांकन 6 माह में पूरा किया जाएगा तथा जहां सीओडी अस्तित्व में नहीं है उन राज्यों के लिए यह कार्य 12 माह में किया जाएगा, बशर्ते कि संबंधित परियोजना विकासकर्ता द्वारा विभिन्न पहलुओं पर जारी की गई टिप्पणियों का उपयुक्त अनुपालन किया गया हो।

1000 करोड़ से अधिक के पूंजीगत व्यय वाली जल विद्युत परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) सहमति के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) को प्रस्तुत की जाती हैं। डिजाइन के विविध पहलुओं के मूल्यांकन की दृष्टि से सीईए सीडब्ल्यूसी/जल संसाधन मंत्रालय/केन्द्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधान केन्द्र तथा भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण आदि से परामर्श करता है। मूल्यांकन समूहों/एजेंसियों से सभी पहलुओं पर अनुमोदन प्राप्त हो जाने पर सीईए 90 कार्य दिवसों की अवधि के भीतर जहां तक व्यवहार्य हो सहमति प्रदान करने का प्रयास करता है।

****

अनुबंध-I

राज्य सभा में दिनांक 11.08.2014 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 3460 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

****

सीडब्ल्यूसी में मूल्यांकन के अधीन सिंचाई एवं विद्युत दोनों घटक वाली बहुउद्देश्यीय जल संसाधन परियोजनाएं

क्रम सं.	स्कीम	स्वीकार करने का माह	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	सिंचाई लाभ (भूमि हेक्टेयर में)
जे एण्ड के				
1	उझ मल्टीपरपोज प्रोजेक्ट	11/2013	280	32000
उप-जोड़			**280**	**32000**
उत्तराखण्ड				
2	जमरानी डैम मल्टीपरपोज प्रोजेक्ट (संशोधित)	02/2006	14	139386
उप-जोड़			**14**	**139386**
हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश				
3	किशॉ मल्टीपरपोज प्रोजेक्ट	10/2010	600	97000
उप-जोड़			**600**	**97000**
मध्य प्रदेश				
4	बीना कॉम्प्लेक्स इरीगेशन एण्ड मल्टीपरपोज प्रोजेक्ट	10/2010	32	77000
5	चिंकी मल्टीपरपोज प्रोजेक्ट	01/2013	15	86215
6	शेर-शक्कर मछरेवा कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट	01/2014	30	64800
7	केन बेटवा फेज-1	12/2011	72	646000
उप-जोड़			**149**	**874015**
असम				
8	कुलसी डैम प्रोजेक्ट	07/2014	29	23900
उप-जोड़			**29**	**23900**
अरुणाचल प्रदेश				
9	नोई देहांग डैम प्रोजेक्ट	05/2014	75	800
उप-जोड़			**75**	**800**
मणिपुर				
10	चकपी मल्टीपरपोज प्रोजेक्ट	07/2012	12.5	9860
उप-जोड़			**12.5**	**9860**
कुल (अखिल भारत)			**1159.5**	**1176961**

****

अनुबंध-II

राज्य सभा में दिनांक 11.08.2014 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 3460 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

****

सीडब्ल्यूसी में मूल्यांकन के अधीन जल विद्युत परियोजनाएं (केवल विद्युत घटक वाली)

क्रम सं.	स्कीम	क्षेत्र	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	स्वीकार करने का माह
जे एण्ड के				
1	किरू	राज्य (जेवी)	660	08/12
2	किरथई-I	राज्य	390	01/13
3	स्वालकोट	राज्य	1856	01/14
4	क्वार	राज्य	560	05/14
उप-जोड़			**3466**	
हिमाचल प्रदेश				
5	सेली	निजी	400	12/11
6	छतरू	निजी	126	04/12
7	सच खास	निजी	267	01/13
8	लुहरी	केंद्रीय	601	03/13
उप-जोड़			**1394**	
उत्तराखण्ड				
9	जेलम टमक	केंद्रीय	108	12/12
10	बोवाला नंद प्रयाग	राज्य	300	08/12
उप-जोड़			**408**	
बिहार				
11	डगमारा	राज्य	130	04/12
उप-जोड़			**130**	
असम				
12	लोअर कोपिली	राज्य	120	03/13
उप-जोड़			**120**	
अरुणाचल प्रदेश				
13	डेम्वे अपर	निजी	1080	07/12
14	न्यूकचरोंग छू	निजी	96	01/13
15	टाटो-I	निजी	186	05/13
16	हियो	निजी	240	07/13
17	सुबानसिरी मिडिल (कमला)	निजी	1800	10/13
उप-जोड़			**3402**	
मेघालय				
18	किंशी-I	निजी	270	02/13
19	उम्नगोट	राज्य	240	03/13
उप-जोड़			**510**	
कुल (अखिल भारत)			**9430**	

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3461

जिसका उत्तर 11 अगस्त, 2014 को दिया जाना है ।

विद्युत की मांग संबंधी अध्ययन

3461. श्रीमती जया बच्चनः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश की विद्युत आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता में अभाव पर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने भविष्य में विद्युत की मांग का आंकलन करने हेतु कोई अध्ययन कराया है;

(ग) क्या सरकार ने भविष्य में अपेक्षित विद्युत उत्पादन हेतु रूपरेखा तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो पहले से उठाए गए कदमों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है एवं यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : जी हाँ।

(ग) और (घ) : सरकार देश में विद्युत की मांग एवं आपूर्ति के बीच के अंतर को पूरा करने के लिए सभी प्रयास कर रही है। देश में विद्युत की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि के लिए आयोजना की गई है। देश में 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पारंपरिक स्रोतों से 88,537 मेगावाट उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि का लक्ष्य रखा गया है। इसके अतिरिक्त, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार, 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ग्रिड इंटरएक्टिव नवीकरणीय क्षमता अभिवृद्धि 30,000 मेगावाट होने की संभावना है। इस क्षमता अभिवृद्धि से 18वें इलेक्ट्रिक पावर सर्वे (ईपीएस) के अनुसार अखिल भारतीय आधार पर विद्युत की अनुमानित मांग को

12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतिम वर्ष तक पूरा किए जाने की संभावना है। सरकार ने राज्यों को अपनी अनुमानित मांग आपूर्ति परिदृश्य के अनुरूप अपनी मांग को पूरा करने के लिए विद्युत की व्यवस्था करने की सलाह दी है।

इसके अतिरिक्त, उपभोक्ताओं को विद्युत की आपूर्ति-कमी को घटाने के लिए सरकार निम्नलिखित कदम उठा रही हैः-

(i) विद्युत की निकासी के लिए अंतर-राज्यीय और अंतर-क्षेत्रीय पारेषण क्षमता के सुदृढ़ीकरण के लिए एक वृहत कार्यक्रम प्रारंभ करना।

(ii) कार्यान्वयनाधीन विद्युत परियोजनाओं के लिए पर्यावरण और वन स्वीकृति से संबंधित मामलों का शीघ्र समाधान करना।

(iii) विद्युत संयंत्रों द्वारा उत्पादन बढ़ाने के लिए कोयले के आयात की अनुमति देकर देशी कोयले की उपलब्धता की कमी को पूरा करना।

(iv) ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा दक्षता और मांग पक्ष प्रबंधन उपायों को बढ़ावा देना।

(v) विद्युत स्टेशनों के संयंत्र भार कारक में सुधार करने के लिए संबंधित राज्य और केंद्रीय विद्युत यूटिलिटियों द्वारा नवीकरण और आधुनिकीकरण (आरएंडएम) कार्य किए जाते हैं।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3462

जिसका उत्तर 11 अगस्त, 2014 को दिया जाना है ।

'हाई टेन्शन' तारों के कारण दुर्घटनाएं

3462. श्री कल्पतरू दासः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या दिल्ली तथा अन्य स्थानों में विद्युत कंपनियों की 'हाइ टेन्शन' तारों के काफी नजदीक में रहने वाले लोगों की विद्युत आघात के कारण काफी संख्या में अप्राकृतिक मौतें हुई हैं;

(ख) क्या ऐसे निवासियों को ऐसे 'लाइव' तारों से सचेत रहने तथा अपने घरों का निर्माण करते समय ऐसी 'वायर' के नजदीक न आने की चेतावनी जारी की जाती है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इस प्रकार की अप्राकृतिक मौतों पर नियंत्रण लगाने हेतु कोई कार्य-योजना तैयार की है; और

(ङ) शहरों में ऐसी 'हाइ-टेन्शन लाइव' तारों के काफी नजदीक किसी प्रकार के निर्माण को प्रतिबंधित करने हेतु क्या कार्य योजना है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ग) : दिल्ली तथा अन्य स्थानों में, हाई टेंशन तारों के काफी नजदीक निवास करने वाले लोगों की विद्युत आघात लगने के कारण हुई कुछ अप्राकृतिक मौतों की सूचना विद्युत कंपनियों द्वारा दी गई है। यह सामान्यतः अनाधिकृत निर्माण एवं सांविधिक स्वीकृतियों का उल्लंघन कर भवन का विस्तार करने के कारण होता है। जब भी ऐसे मामलों का पता चलता है तो वितरण कंपनियों द्वारा निवासियों को हाई टेंशन ओवरहेड लाइनों के नीचे ऊंची उठाई गई अनाधिकृत संरचनाओं को हटाने के लिए नोटिस दिए जाते हैं। जिन मकान-मालिकों ने संरचनाओं/घर की बालकनी/चारदीवारी आदि को विद्युत की लाइनों के एकदम नजदीक तक बढ़ा लिया होता है, उन्हें चेतावनी-पत्र जारी किए जाते हैं।

(घ) : ओवरहेड लाइनें लगाते समय, राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों की वितरण कंपनियां, विद्युत आपूर्ति के सुरक्षा संबंधी मुद्दों से संबंधित, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 53 के अंतर्गत बनाए गए, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा एवं विद्युत आपूर्ति से संबंधित उपाय) विनियम, 2010 के प्रावधान के अनुसार पर्याप्त उध्वार्धर एवं क्षैतिज अंतर सुनिश्चित करती हैं। इसके अतिरिक्त हाई टेंशन लाइनों के विद्युत खंभों पर "खतरा" चेतावनी के साइनबोर्ड प्रदर्शित किए जाते हैं।

(ङ) : केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा एवं विद्युत आपूर्ति से संबंधित उपाय) विनियम, 2010 के प्रावधानों के अनुसार, हाई टेंशन विद्युत लाइनों के निकट निर्माण संबंधी कार्यकलाप निषिद्ध है।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3463

जिसका उत्तर 11 अगस्त, 2014 को दिया जाना है ।

आंध्र प्रदेश में विद्युत परिसंपत्तियों का बंटवारा

3463. श्री जेसुदासु सीलमः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 में यथा अंतर्निहित राज्य भार प्रेषण केन्द्र (एस.एल.डी.सी.) की स्थापना, दक्षिणी विद्युत वितरण कंपनी से अनंतपुर एवं कर्नूल को पूर्वी विद्युत वितरण कंपनी को अंतरण करने हेतु मौजूद प्रावधानों का ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा इस संबंध में कौन-से कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ग) आंध्र प्रदेश सरकार की क्या भूमिका है तथा उनके उत्तरदायित्वों की स्थिति क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : राज्य भार प्रेषण केन्द्र (एस.एल.डी.सी.) की स्थापना और अनंतपुर तथा कर्नूल जिलों के अंतरण के लिए प्रावधान आन्ध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 की 12वीं अनुसूची के पैरा ग-विद्युत में खण्ड 4 एवं 8 में वर्णित हैं, जिनका उल्लेख इस प्रकार हैः

"4. विद्यमान राज्य भार प्रेषण केन्द्र (एस.एल.डी.सी.) दोनों उत्तराधिकारी राज्यों के लिए कार्य करेगा जिसकी अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होगी, इस समय के भीतर प्रत्येक उत्तराधिकारी राज्य के लिए पृथक एसएलडीसी की स्थापना की जाएगी । इस अवधि के दौरान, विद्यमान एसएलडीसी बंगलुरू स्थित दक्षिणी आरएलडीसी के प्रत्यक्ष प्रशासन एवं नियंत्रण के अधीन कार्य करेगा ।

8. एपी सेंट्रल पावर डिस्ट्रिब्यूशन कम्पनी लिमिटेड के अधिकार क्षेत्र में आने वाले अनंतपुर तथा करनूल जिले अब पुनः एपी साउथ पावर डिस्ट्रिब्यूशन कम्पनी लिमिटेड को सौंपे जाएंगे।"

(ख) और (ग) : आंध्र प्रदेश सरकार ने दिनांक 11.07.2014 के जी.ओ.एम संख्या 33 द्वारा अधिसूचित किया है कि जब तक कि राज्य सरकार विद्युत अधिनियम, 2003 के भाग 5 के अंतर्गत यथा वर्णित शक्तियों के प्रयोग और कार्यों के निर्वहन के प्रयोजन के लिए सरकारी कंपनी अथवा किसी प्राधिकरण अथवा निगम की स्थापना करे, 02.06.2014 से कार्यरत राज्य भार प्रेषण केन्द्र (एस.एल.डी.सी.) विद्युत सौधा, हैदराबाद से प्रचालनरत आंध्र प्रदेश राज्य भार प्रेषण के रूप में कार्य करेगा और मैसर्स ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ आंध्र प्रदेश लिमिटेड, जो राज्य पारेषण यूटिलिटी है, द्वारा प्रचालित किया जाएगा।

एकीकृत आंध्र प्रदेश सरकार ने दिनांक 29.05.2014 के जीओएम संख्या 25 द्वारा आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 के प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। जीओएम संख्या 25 के पैरा 19 में यह उल्लेख किया गया है कि दो जिलों अनंतपुर तथा कर्नूल के एपी साउथ पावर डिस्ट्रिब्यूशन कम्पनी लिमिटेड (एपीएसपीडीसीएल) को अंतरण के कारण ऊर्जा विभाग के दिनांक 08.05.2014 के जीओएम संख्या 20 के अनुसार एपी सेन्ट्रल पावर डिस्ट्रिब्यूशन कम्पनी लिमिटेड के 17.45 % इक्विटी शेयर एपीएसपीडीसीएल को अंतरित किए जाएंगे।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3464

जिसका उत्तर 11 अगस्त, 2014 को दिया जाना है ।

विद्युत क्षेत्र का कार्य-निष्पादन

3464. श्री ईश्वरलाल शंकरलाल जैनः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारत विश्व में पांचवां सबसे बड़ा बिजली उत्पादक देश है, लेकिन प्रति व्यक्ति उपभोग के संदर्भ में इसका स्थान 150वां है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बिजली की मांग-आपूर्ति में असंतुलन बढ़ रहा है, क्योंकि विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में लाखों लोगों के लिए बिल्कुल भी बिजली उपलब्ध नहीं है;

(घ) यदि हां, तो क्या विद्युत क्षेत्र में सुधार अत्यावश्यक है, क्योंकि अनुमानित वित्तीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के चार प्रतिशत से अधिक है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा कौन-से कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : वर्ल्ड एनर्जी स्टेटिस्टिक्स 2013 संबंधी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी (आईईए) के प्रकाशन के अनुसार, भारत विद्युत के उत्पादन में 5वें स्थान पर और प्रतिव्यक्ति विद्युत खपत में 110वें स्थान पर है।

(ग) से (ङ) : मांग-आपूर्ति के बीच के असंतुलन कम हुआ है। वर्ष 2010-11 में व्यस्ततम कमी 8.5% से घटकर वर्ष 2013-14 में 4.2% रह गयी है और वर्ष 2010-11 में ऊर्जा कमी 9.5% से घटकर वर्ष 2013-14 में 4.5% रह गयी है।

विद्युत अधिनियम, 2003, राष्ट्रीय विद्युत नीति, 2005 और राष्ट्रीय प्रशुल्क नीति, 2006 के अंतर्गत विद्युत क्षेत्र में सुधार के लिए शुरू की गई प्रक्रिया की निगरानी के लिए मई, 2011 में गठित सुधार निगरानी यूनिट (आरएमयू) पहले ही केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के अंतर्गत काम कर रही है।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3465

जिसका उत्तर 11 अगस्त, 2014 को दिया जाना है ।

जल विद्युत परियोजनाएं

3465. श्री बसावाराज पाटिलः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में कितनी जल विद्युत परियोजनाएं हैं;

(ख) अभी तक शुरू नहीं की गई जल विद्युत परियोजनाएं राज्य-वार कितनी हैं;

(ग) सरकार द्वारा इन परियोजनाओं को शुरू करने हेतु कौन-से कदम उठाए गए हैं; और

(घ) जल विद्युत परियोजनाओं की क्षमता का पता लगाने हेतु कोई तंत्र है एवं क्या कृष्णा बेसिन अर्थात्, गोलापल्ली जल विद्युत परियोजना के अंतर्गत रायचूर जिलें में किसी जल विद्युत परियोजना का सर्वेक्षण कराया गया था?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : 31.07.2014 की स्थिति के अनुसार, देश में 40,798.75 मेगावाट संस्थापित क्षमता (25 मेगावाट से अधिक स्टेशन क्षमता वाली) की 188 जल विद्युत परियोजनाएं **(**एचईपी**)** हैं ।

(ख) : इस समय, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा सहमति प्राप्त, कुल 26,080 मेगावाट संस्थापित क्षमता की 40 एचईपी का निर्माण कार्य अभी आरम्भ किया जाना है । राज्य-वार ब्यौरा **अनुबंध** में दिया गया है ।

(ग) : उपुर्यक्त सहमति प्राप्त 40 एचईपी/स्कीमों में से 30 एचईपी/स्कीमें पर्यावरण/वन स्वीकृतियों के उपलब्ध न होने और अन्य कठिनाइयों के कारण आरंभ नहीं की जा सकी हैं ।

विद्युत मंत्रालय/सीईए मामलों के समाधान के लिए परियोजना विकासकर्ताओं तथा संबंधित प्राधिकारियों के साथ उपर्युक्त परियोजनाओं की आवधिक रूप से समीक्षा करता है ।

(घ) : वर्ष 1978-87 के दौरान सीईए द्वारा देश में जल विद्युत परियेाजनाओं की संभाव्यता का मूल्यांकन उस समय उपलब्ध स्थलाकृति मानचित्रों के विस्तृत अध्ययन से प्राप्त जानकारी सहित विभिन्न स्रोतों से एकत्रित जल विज्ञान संबंधी, मौसम विज्ञान संबंधी एवं अन्य संबंधित आंकड़ों का उपयोग करते हुए किया गया था। इस अध्ययन में उस समय प्रचालनरत अथवा निर्माणाधीन उन सभी स्कीमों पर भी ध्यान दिया गया था जिनके पानी का सिंचाई तथा अन्य उद्देश्यों के लिए विपथन किया गया था ।

किसी परियोजना विशेष की जल विद्युत संभाव्यता का मूल्यांकन करते समय, संस्थापित क्षमता और ऊर्जा उत्पादन के संबंध में जल विद्युत संभाव्यता का मूल्यांकन करने के लिए डिस्चार्ज के आंकड़े और विपथन संरचना तथा टेल रेस के बीच उपलब्ध हेड को लिया गया है।

****

अनुबंध

राज्य सभा में दिनांक 11.08.2014 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 3465 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

****

वर्ष 2002-03 के बाद सीईए द्वारा सहमति दी गईं और अभी निर्माण के लिए ली जाने वाली हाइड्रो इलैक्ट्रिक स्कीमें

क्रम सं.	स्कीम/क्षेत्र	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)
	उत्तरी क्षेत्र	
	जे एण्ड के	
1	पकलदुल/केंद्रीय	1000
2	न्यू गंदरवाल	93
	हिंमाचल प्रदेश	
3	कुटेहर/निजी	240
4	मियार/निजी	120
5	चांगो यांगथांग	180
	उत्तराखण्ड	
6	कोटलीभेल स्टेज-Iए /केंद्रीय	195
7	कोटलीभेल स्टेज-Iबी/ केंद्रीय	320
8	कोटलीभेल स्टेज-II /केंद्रीय	530
9	पाला मनेरी/राज्य	480
10	अलकनंदा/निजी	300
11	रूपसियाबगर खसियाबाड़ा/केंद्रीय	261
12	व्यासी/राज्य	120
13	देवसरी/केंद्रीय	252
	उप-जोड़ : एनआर :	**4091**
	पश्चिमी क्षेत्र	
	छत्तीसगढ़	
14	मतनार/राज्य	60
	उप-जोड़ : डबल्यूआर :	**60**
	पूर्वी क्षेत्र	
	पश्चिम बंगाल	
15	रम्माम स्टेज-III/केंद्रीय	120
	ओडिशा	
16	जलापुट डैम टोई/निजी	18
	सिक्किम	
17	तीस्ता स्टेज-IV/केंद्रीय	520
	उप जोड़ : ईआर :	**658**
	दक्षिणी क्षेत्र	

	केरल	
18	अथीरापिल्ली/राज्य	163
	आंध्र प्रदेश	
19	इंदिरासागर (पोलावरम)/राज्य	960
	कर्नाटक	
20	गुंडिया/राज्य	200
	उप-जोड़ : एसआर :	**1323**
	पूर्वोत्तर क्षेत्र	
	मणिपुर	
21	तिपाईमुख/केंद्रीय	1500
22	लोकटक डी/एस/केंद्रीय	66
	अरुणाचल प्रदेश	
23	दिबांग/केंद्रीय	3000
24	डिबिन/निजी	120
25	लोअर सियांग/निजी	2700
26	नाफ्रा/निजी	120
27	न्यामजंग छू/निजी	780
28	तवांग स्टेज-I/केंद्रीय	600
29	टाटो-II/निजी	700
30	तवांग स्टेज-II/केंद्रीय	800
31	डेम्वे लोअर निजी	1750
32	गोंगरी/निजी	144
33	हीरोंग/निजी	500
34	इटालियन/निजी	3097
35	टलोंल लोंडा/निजी	225
36	नेइंग/निजी	1000
37	सियोम	1000
38	कलाई-II	1200
	मिजोरम	
39	कोलोडाइन स्टेज-II/केंद्रीय	460
	नागालैंड	
40	दीखू	186
	उप-जोड़ पूर्वोत्तर	**19948**
	कुल : अखिल भारत	**26080**

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3466

जिसका उत्तर 11 अगस्त, 2014 को दिया जाना है ।

निजी क्षेत्र में जल विद्युत परियोजनाओं के
विकास की स्थिति

3466. श्री आयनुर मंजूनाथाः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या विभिन्न राज्यों में निजी डेवलपरों को आवंटित 40000 मेगावाट की संयुक्त क्षमता वाली जल विद्युत परियोजनाओं को अभी शुरू किया जाना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस विलंब के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा विद्युत उत्पादन की मांग एवं आपूर्ति के अंतर को समाप्त करने हेतु देश में, विशेषकर दक्षिणी राज्यों में, जल विद्युत उत्पादन क्षमता के दोहन के लिए कौन-से नए कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : विद्युत मंत्रालय के अधीन एक तकनीकी निकाय**,** केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण **(**सीईए**)** द्वारा दी गई सूचना के अनुसार रिकार्ड में विभिन्न राज्यों में निजी विकासकर्ताओं को **40,000** मेगावाट की क्षमता की जल विद्युत परियोजनाओं के आवंटन संबंधी कोई विशिष्ट सूचना उपलब्ध नहीं है। तथापि**, 2002-03** से जिन निजी क्षेत्र की जल विद्युत परियोजनाओं की डीपीआर सहमति**/**मूल्यांकन हेतु सीईए को प्राप्त हुई हैं उनका ब्यौरा इस प्रकार हैः

(i) वर्ष **2002-03** से कुल **27568** मेगावाट की संस्थापित क्षमता वाली **52** जल विद्युत परियोजनाओं**/**योजनाओं के प्रस्ताव**/**डीपीआर सीईए को प्राप्त हुए हैं। इसका ब्यौरा **अनुबंध-I** में दिया गया है।

(ii) इनमें से कुल **18821** मेगावाट की **28** जल विद्युत परियोजनाओं**/**योजनाओं को सहमति प्रदान की गई थी। इसका विवरण **अनुबंध-II** में दिया गया है।

(iii) कुल **4282** मेगावाट की संस्थापित क्षमता वाली **15** जल विद्युत परियोजनाओं/योजनाओं की डीपीआर सीईए/केन्द्रीय जल आयोग **(**सीडब्ल्यूसी**)/**भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण **(**जीएसआई**)** तथा अन्य मूल्यांकन एजेंसियों की विविध टिप्पणियों की अनुपालना के बाद पुनः प्रस्तुत करने के लिए परियोजना प्राधिकारियों को वापस कर दी गई। इसका ब्यौरा **अनुबंध-III** में दिया गया है।

(iv) सीईए द्वारा सहमति प्राप्त **28** जल विद्युत परियोजनाओं/योजनाओं में से कुल **14380** मेगावाट की संस्थापित क्षमता वाली **19** जल विद्युत परियोजनाओं/योजनाओं का निर्माण अभी शुरू किया जाना है। इसका ब्यौरा **अनुबंध-IV** में दिया गया है।

(v) कुल **4465** मेगावाट की संस्थापित क्षमता वाली निजी क्षेत्र की **9** जल विद्युत परियोजनाओं/योजनाओं के डीपीआर की इस समय सीईए में जांच की जा रही है। इसका ब्यौरा **अनुबंध-V** में दिया गया है।

(ग) : सीईए द्वारा 1978-87 के बीच कराए गए पुनः आकलन-अध्ययन के अनुसार देश में 148701 मेगावाट की (25 मेगावाट से अधिक की 145320 मेगावाट योजनाएं) जल विद्युत संभाव्यता का अनुमान लगाया गया है**,** जिसमें दक्षिणी क्षेत्र की 16458 मेगावाट (25 मेगावाट से अधिक की 15890 मेगावाट योजनाएं) की संभाव्यता शामिल है। मौजूदा समय में देश में 35944.48 मेगावाट जल विद्युत क्षमता प्रचालन के अधीन है तथा 18131.34 मेगावाट निर्माणाधीन है।

****

अनुबंध-I

राज्य सभा में दिनांक 11.08.2014 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 3466 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

****

2002-03 से सीईए में प्राप्त की गई निजी क्षेत्र की जल विद्युत स्कीमों का ब्यौरा

क्रम सं.	स्कीम	राज्य	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	स्थिति
1	रत्ले	जे एण्ड के	850	सहमति दी गई
2	अलियन दुहांगन	एच.पी.	192	सहमति दी गई
3	करछम वांगटू	एच.पी.	1000	सहमति दी गई
4	कुटेहर	एच.पी.	240	सहमति दी गई
5	बजोली होली	एच.पी.	180	सहमति दी गई
6	मियार	एच.पी.	120	सहमति दी गई
7	चांगो यांगथांग	एच.पी.	180	सहमति दी गई
8	सेली	एच.पी.	400	परीक्षणाधीन
9	छतरू	एच.पी.	126	परीक्षणाधीन
10	सच खास	एच.पी.	267	परीक्षणाधीन
11	बारा भंघाल	एच.पी.	200	वापिस की गई
12	सिंगोली भटवारी	उत्तराखण्ड	99	सहमति दी गई
13	अलकनंदा	उत्तराखण्ड	300	सहमति दी गई
14	मोरी हनल	उत्तराखण्ड	63	वापिस की गई
15	बोगुडियार सिरकारी भ्योल	उत्तराखण्ड	146	वापिस की गई
16	जलापुट डैम टोई	ओडिशा	18	सहमति दी गई
17	तीस्ता-III	सिक्किम	1200	सहमति दी गई
18	तीस्ता स्टेज- VI	सिक्किम	500	सहमति दी गई
19	रंगित स्टेज-IV	सिक्किम	120	सहमति दी गई
20	पनन	सिक्किम	300	सहमति दी गई
21	तीस्ता स्टेज-II	सिक्किम	480	वापिस की गई
22	लेथंग एचईपी	सिक्किम	96	वापिस की गई
23	डेम्वे लोअर	अरुणाचल प्रदेश	1750	सहमति दी गई
24	डिबिन	अरुणाचल प्रदेश	120	सहमति दी गई
25	लोअर सियांग	अरुणाचल प्रदेश	2700	सहमति दी गई
26	नाफ्रा	अरुणाचल प्रदेश	120	सहमति दी गई
27	न्यामजंग छू	अरुणाचल प्रदेश	780	सहमति दी गई
28	टाटो-II	अरुणाचल प्रदेश	700	सहमति दी गई
29	गोंगरी	अरुणाचल प्रदेश	144	सहमति दी गई
30	हीरोंग	अरुणाचल प्रदेश	500	सहमति दी गई
31	इटालियन	अरुणाचल प्रदेश	3097	सहमति दी गई
32	टलोंग लोंडा	अरुणाचल प्रदेश	225	सहमति दी गई
33	नेइंग	अरुणाचल प्रदेश	1000	सहमति दी गई
34	सियोम	अरुणाचल प्रदेश	1000	सहमति दी गई
35	कलाई-II	अरुणाचल प्रदेश	1200	सहमति दी गई
36	डेम्वे अपर	अरुणाचल प्रदेश	1080	परीक्षणाधीन
37	न्यूकचरोंग छू	अरुणाचल प्रदेश	96	परीक्षणाधीन
38	टाटो-I	अरुणाचल प्रदेश	186	परीक्षणाधीन
39	हियो	अरुणाचल प्रदेश	240	परीक्षणाधीन
40	सुबानसिरी मिडिल (कमला)	अरुणाचल प्रदेश	1800	परीक्षणाधीन
41	यामने स्टेज-II	अरुणाचल प्रदेश	84	वापिस की गई
42	हुटोंग-II एचईपी	अरुणाचल प्रदेश	1200	वापिस की गई
43	कलाई-I	अरुणाचल प्रदेश	1352	वापिस की गई
44	पेमाशेल्फू एचईपी	अरुणाचल प्रदेश	90	वापिस की गई
45	सिस्सिरी	अरुणाचल प्रदेश	100	वापिस की गई
46	जिमिलियांग	अरुणाचल प्रदेश	80	वापिस की गई
47	रेगम	अरुणाचल प्रदेश	141	वापिस की गई
48	कंगटांग श्री	अरुणाचल प्रदेश	80	वापिस की गई
49	टगरूशिट	अरुणाचल प्रदेश	74	वापिस की गई
50	मोगोचू	अरुणाचल प्रदेश	96	वापिस की गई
51	किंशी-I	मेघालय	270	परीक्षणाधीन
52	दीखू	नागालैंड	186	सहमति दी गई
	कुल		**27568**	

****

अनुबंध-II

राज्य सभा में दिनांक 11.08.2014 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 3466 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

****

सीईए द्वारा (2002-03 से) सहमति प्रदत्त/मूल्यांकित निजी क्षेत्र की जल विद्युत स्कीमों का ब्यौरा

क्रम सं.	स्कीम	संस्थापित क्षमता	सीईए द्वारा सहमति की तिथि
1	सिंगोली भटवारी	99	11.07.08
2	अलकनंदा	300	08.8.08
3	रत्ले	850	19.12.12
4	अलियन दुहांगन	192	20.08.02
5	करछम वांगटू	1000	31.03.03
6	कुटेहर	240	31.8.10
7	बजोली होली	180	30.12.11
8	मियार	120	07.02.13
9	चांगो यांगथांग	180	31.03.14
10	तीस्ता-III	1200	12.05.06
11	तीस्ता स्टेज-VI	500	27.12.06
12	रंगित स्टेज-IV	120	06.07.07
13	पनन	300	07.03.11
14	जलापुट डैम टोई	18	31.01.03
15	डेम्वे लोअर	1750	20.11.09
16	डिबिन	120	04.12.09
17	लोअर सियांग	2700	16.02.10
18	नाफ्रा	120	11.02.11
19	न्यामजंग छू	780	24.03.11
20	टाटो-II	700	22.5.12
21	गोंगरी	144	04.02.13
22	हीरोंग	500	10.04.13
23	इटालियन	3097	12.07.13
24	टलोंग लोंडा	225	16.08.13
25	नेइंग	1000	11.09.13
26	सियोम	1000	17.12.13
27	कलाई-II	1200	08.01.14 @
28	दीखू	186	31.03.14
	कुल	**18821**	

(@)-सहमति बैठक 08.01.2014 को हुई। दिनांक 02.09.2007 के एमओए के पुनःवैधीकरण तथा मैसर्स केपीपीएल और राज्य सरकार की इक्विटी भागीदारी के संबंध में अरुणाचल प्रदेश सरकार से पत्र प्राप्त नहीं होने के कारण सहमति पत्र अभी जारी किया जाना है।

****

अनुबंध-III

राज्य सभा में दिनांक 11.08.2014 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 3466 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

****

परियोजना प्राधिकरण को पुनः प्रस्तुत करने के लिए वापिस की गई निजी क्षेत्र की हाइड्रो-इलैक्ट्रिक स्कीमों का ब्यौरा - (वर्ष 2002-03 एवं इससे आगे)

क्रम सं.	**परियोजना का नाम**	**राज्य**	**संस्थापित क्षमता (मेगावाट)**
1	मोरी हनल	उत्तराखण्ड	63
2	बोगुडियार सिरकारी भ्योल	उत्तराखण्ड	146
3	बारा भंघाल	हिमाचल प्रदेश	200
4	तीस्ता स्टेज-II	सिक्किम	480
5	लेथांग एचईपी	सिक्किम	96
6	यामने स्टेज-II	अरुणाचल प्रदेश	84
7	हुटोंग-II एचईपी	अरुणाचल प्रदेश	1200
8	कलाई-I	अरुणाचल प्रदेश	1352
9	पेमाशेल्फू एचईपी	अरुणाचल प्रदेश	90
10	सिस्सिरी	अरुणाचल प्रदेश	100
11	जिमिलियांग	अरुणाचल प्रदेश	80
12	रेगम	अरुणाचल प्रदेश	141
13	कंगटांग श्री	अरुणाचल प्रदेश	80
14	टगुरशिट	अरुणाचल प्रदेश	74
15	मोगोचू	अरुणाचल प्रदेश	96
	कुल		**4282**

****

अनुबंध-IV

राज्य सभा में दिनांक 11.08.2014 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 3466 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

****

निजी क्षेत्र की इन परियोजनाओं को 2002-03 से सीईए द्वारा सहमति दी गई और इनका निष्पादन अभी शुरू किया जाना है

क्रम सं.	परियोजना का नाम	राज्य	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	सीईए द्वारा सहमति की तिथि	टिप्पणियां (विलंब के कारण)
1	कुटेहर	हिमाचल प्रदेश	240	31.08.10	• पर्यावरणीय स्वीकृति 05.07.2011 को प्रदान की गई। • परियोजना के कार्यान्वयन के लिए वन भूमि के परिवर्तन हेतु एमओईएफ द्वारा 22.06.2011 को वन स्वीकृति स्टेज-I अनुमोदन दिया गया। • एमओईएफ के दिनांक 19.02.2013 के पत्र द्वारा स्टेज-II वन स्वीकृति दी गई। वित्तीय परिसमापन को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
2	मियार	हिमाचल प्रदेश	120	07.02.13	• पर्यावरणीय स्वीकृति 30.07.2012 को प्रदान की गई। • स्टेज-1 के लिए वन स्वीकृति 27.07.2012 को प्रदान की गई। • चालू होने का कार्यक्रम शून्य तिथि अर्थात 01 मई, 2013 से 110 माह है। प्रत्याशित सीओडी जून, 2022 है। वित्त का प्रबंध प्रक्रियाधीन है।
3	चांगो यांगथांग	हिमाचल प्रदेश	180	31.03.14	पर्यावरण स्वीकृति और वन स्वीकृति प्रतीक्षित
4	अलकनंदा	उत्तराखण्ड	300	08.08.08	• पर्यावरणीय स्वीकृति 12.03.2008 को प्रदान की गई। • वन स्वीकृति 09.11.2012 को प्रदान की गई।
5	जलापुट डैम टोई	ओडिशा	18	31.01.03	• वित्तीय परिसमापन की तिथि ओपीसीएल द्वारा अभी सूचित की जानी है। • ओपीसीएल , जीओएपी तथा जीओओ के बीच त्रिपक्षीय करार प्रक्रियाधीन है। ओपीसीएल पीपीए तथा परियोजना निर्माण कार्य शुरू करने के लिए भूमि पट्टा करार को अंतिम रूप दिए जाने के लिए जीओएपी तथा जीओओ पर बल दे रहा है।
6	डिबिन	अरुणाचल प्रदेश	120	04.12.09	• स्टेज-I के लिए वन स्वीकृति 07.02.2012 को प्रदान की गई और स्टेज-II के लिए वन स्वीकृति प्रतीक्षित है। पर्यावरणीय स्वीकृति 23.07.2012 को प्रदान की गई।
7	लोअर सियांग	अरुणाचल प्रदेश	2700	16.02.10	• पर्यावरणीय स्वीकृति 12.02.2010 को प्रदान की गई। • वन स्वीकृति 03.05.2013 को प्रदान की गई।.
8	नाफ्रा	अरुणाचल प्रदेश	120	11.02.11	• पर्यावरणीय स्वीकृति 17.01.2011 को प्रदान की गई। • परियोजना के कार्यान्वयन के लिए वन भूमि परिवर्तन हेतु एमओईएफ द्वारा 12.07.2011 को स्टेज-I अनुमोदन प्रदान किया गया तथा स्टेज-II

					वन स्वीकृति 26.06.2012 को प्राप्त की गई।
9	न्यामजंग छू	अरुणाचल प्रदेश	780	24.03.11	• पर्यावरणीय स्वीकृति 19.04.2012 को प्रदान की गई। • स्टेज-I के लिए वन स्वीकृति 09.04.2012 को प्रदान की गई और स्टेज-II के लिए वन स्वीकृति प्रतीक्षित है।
10	टाटो-II	अरुणाचल प्रदेश	700	22.05.12	• पर्यावरणीय स्वीकृति 27.06.2011 को प्रदान की गई। • वन स्वीकृति प्रतीक्षित।
11	डेम्वे लोअर	अरुणाचल प्रदेश	1750	20.11.09	• पर्यावरणीय स्वीकृति 12.02.2010 को प्रदान की गई। • वन स्वीकृति 03.05.2013 को प्रदान की गई।
12	गोंगरी निजी	अरुणाचल प्रदेश	144	04.02.13	• पर्यावरणीय स्वीकृति 21.03.2013 को प्राप्त की गई और वन स्वीकृति 07.09.2012 को प्राप्त की गई।
13	हीरोंग	अरुणाचल प्रदेश	500	10.04.13	पर्यावरण स्वीकृति और वन स्वीकृति प्रतीक्षित
14	इटालियन	अरुणाचल प्रदेश	3097	12.07.13	पर्यावरण स्वीकृति और वन स्वीकृति प्रतीक्षित
15	टलोंग लोंडा	अरुणाचल प्रदेश	225	16.08.13	पर्यावरण स्वीकृति और वन स्वीकृति प्रतीक्षित
16	नेइंग	अरुणाचल प्रदेश	1000	11.09.13	पर्यावरण स्वीकृति और वन स्वीकृति प्रतीक्षित
17	सियोम	अरुणाचल प्रदेश	1000	17.12.13	पर्यावरण स्वीकृति और वन स्वीकृति प्रतीक्षित
18	कलाई-II	अरुणाचल प्रदेश	1200	08.01.14 @	सहमति बैठक 08.01.2014 को हुई। सहमति पत्र अभी जारी किया जाना है।
19	दीखू	नागालैंड	186	31.03.14	पर्यावरण स्वीकृति और वन स्वीकृति प्रतीक्षित
	कुल		**14380**		

(@)-सहमति बैठक 08.01.2014 को हुई। दिनांक 02.09.2007 के एमओए के पुनःवैधीकरण तथा मैसर्स केपीपीएल और राज्य सरकार की इक्विटी भागीदारी के संबंध में अरुणाचल प्रदेश सरकार से पत्र प्राप्त नहीं होने के कारण सहमति पत्र अभी जारी किया जाना है।

****

अनुबंध-V

राज्य सभा में दिनांक 11.08.2014 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 3466 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

****

सीईए में निजी क्षेत्र की जल विद्युत परियोजनाओं की परीक्षणाधीन डीपीआर

क्रम सं.	**स्कीम**	**राज्य**	**विकासकर्ता**	**संस्थापित क्षमता (मेगावाट)**
1	सेली	एच.पी.	मैसर्स सेली हाइड्रो इलैक्ट्रिक पावर कंपनी लि.	400
2	छतरू	एच.पी.	मैसर्स डीसीएम श्रीराम इंफ्रास्ट्रक्चर लि.	126
3	सच खास	एच.पी.	मैसर्स एल एण्ड टी हिमाचल हाइड्रो पावर लि.	267
4	डेम्वे अपर	अरुणाचल प्रदेश	मैसर्स लोहित ऊर्जा प्रा. लि.	1080
5	न्यूकचरोंग छू	अरुणाचल प्रदेश	मैसर्स एसएनपीसीएल	96
6	किंशी	मेघालय	मैसर्स एकेपीपीएल	270
7	टाटो-I	अरुणाचल प्रदेश	मैसर्स एसएचपीपीएल	186
8	हियो	अरुणाचल प्रदेश	मैसर्स एचएचपीपीएल	240
9	सुबानसिरी मिडिल (कमला)	अरुणाचल प्रदेश	मैसर्स केएचईपीसीएल	1800
	कुल			**4465**

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3467

जिसका उत्तर 11 अगस्त, 2014 को दिया जाना है ।

पारेषण क्षेत्र पर व्यय

3467. श्री मोहम्मद अली खानः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने बारहवीं तथा तेरहवीं पंचवर्षीय योजना अवधियों के दौरान पारेषण क्षेत्र हेतु 2.3 लाख करोड़ रुपए के व्यय पर विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो आंध्र प्रदेश सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा नवंबर, 2012 में प्रकाशित राष्ट्रीय विद्युत योजना दस्तावेज के अनुसार 12वीं और 13वीं पंचवर्षीय योजना में पारेषण प्रणाली के विकास के लिए निधि की कुल आवश्यकता 12वीं एवं 13वीं योजना अवधि दोनों को एक साथ रखकर, के दौरान 4.0 लाख करोड़ रूपए होने का अनुमान है जिसमें आंध्र प्रदेश सहित सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र शामिल हैं।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3468

जिसका उत्तर 11 अगस्त, 2014 को दिया जाना है ।

बोर्ड परीक्षाओं के दौरान बिजली की कटौती पर रोक लगाया जाना

3468. श्री संजय राउतः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार यह सुनिश्चित करने हेतु सभी राज्य विद्युत बोर्डों (एस.ई.बी.) को आदेश जारी करने पर विचार कर रही है कि बोर्ड परीक्षाओं के समय बिजली कटौती न हो ताकि छात्र अंधेरे में बोर्ड परीक्षाएं देने को बाध्य न हो सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ग) : विद्युत समवर्ती सूची का विषय होने के कारण किसी राज्य में विभिन्न उपभोक्ताओं को विद्युत की आपूर्ति और वितरण तथा बोर्ड की परीक्षा के समय लोड शेडिंग नहीं होने को सुनिश्चित करना संबंधित राज्य सरकार/राज्य विद्युत यूटिलिटी के अधिकार क्षेत्र में आता है। भारत सरकार केन्द्रीय क्षेत्र में विद्युत संयंत्र स्थापित करके तथा विद्युत की कमी को पूरा करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उन संयंत्रों से विद्युत आबंटित करके राज्य सरकारों के प्रयासों को बढ़ावा देती है।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3469

जिसका उत्तर 11 अगस्त, 2014 को दिया जाना है ।

ताप विद्युत संयंत्रों पर कोयले की कमी

3469. डॉ. के. पी. रामालिंगमः

श्री परिमल नथवानीः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या एन.टी.पी.सी. की 20,000 मेगावाट से अधिक की क्षमता वाले बिजली घरों सहित देश में लगभग आधे तापीय विद्युत संयंत्र दिनांक 15 जुलाई, 2014 के अनुसार एक सप्ताह से भी कम समय में समाप्त होने वाले कोयला भंडारों के साथ कोयले की कमी से जूझ रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या 100 कोयला आधारित बिजली उत्पादन केन्द्रों में से 46 केन्द्रों ने उपरोक्त तिथि के अनुसार सात दिनों से भी कम समय तक के लिए ईंधन भंडार की सूचना दी थी;

(घ) क्या एन.टी.पी.सी. सबसे बुरी तरह प्रभावित हुआ है, क्योंकि इसके अधिकांश बिजली उत्पादन केन्द्रों में उपरोक्त तिथि के अनुसार मात्र दो दिनों के लिए कोयला भंडार है; और

(ङ) सरकार द्वारा इन विद्युत संयंत्रों को पर्याप्त कोयला आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (घ) : जी हां। 15 जुलाई, 2014 की स्थिति के अनुसार**,** केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा दैनिक आधार पर निगरानी किए गए कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों में से, 46 विद्युत संयंत्रों ने सात दिन से कम के कोयले के स्टॉक की सूचना दी थी। 15 जुलाई, 2014 की स्थिति के अनुसार, एनटीपीसी के विद्युत संयंत्रों सहित कोयले के स्टॉक का राज्यवार ब्यौरा इन विद्युत संयंत्रों में एक सप्ताह से कम के कोयला स्टॉक के कारणों सहित **अनुबंध** में दिया गया है।

(ङ.) : कोयले की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम पहले ही उठाए जा चुके हैः

1. कोल इण्डिया लिमिटेड द्वारा घरेलू कोयले का चालू वर्ष के लक्ष्य से अधिक उत्पादन करने के लिए सम्मिलित प्रयास।
2. पावर यूटिलिटियों को, जहां कहीं आवश्यक हो, आयातित कोयले के उपयोग की सलाह दी गई है।
3. सरकार द्वारा कोयले की उपलब्धता की नियमित रूप से निगरानी की जा रही है।

****

अनुबंध

राज्य सभा में दिनांक 11.08.2014 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 3469 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

****

सात दिनों से कम के कोयला स्टॉक वाले ताप विद्युत केंद्रों के कोयले के स्टॉक की स्थिति का राज्य-वार ब्यौरा

(15 जुलाई- 2014 की स्थिति के अनुसार)

क्षेत्र/राज्य	ताप विद्युत केंद्र का नाम	क्षमता (मेगावाट)	'000 टन में कोयला स्टॉक	कारण
हरियाणा				
1	इंदिरा गांधी एसटीपीपी	1500	39.93	एसीक्यू का 58% सीआईएल आपूर्ति
पंजाब				
2	राजपुरा टीपीपी	1400	1.69	एसीक्यू का 91% एसईसीएल आपूर्ति
3	जीएच टीपीएस (लेह. मोह.)	920	72.82	कम प्राप्ति
राजस्थान				
4	कोटा टीपीएस	1240	80.61	एसीक्यू का 93% एसईसीएल आपूर्ति
5	सूरतगढ़ टीपीएस	1500	82.61	एसीक्यू का 83% एसईसीएल आपूर्ति
उत्तर प्रदेश				
6	अनपरा टीपीएस	1630	119.52	एसीक्यू का 97% एनसीएल आपूर्ति /कम आयात
7	दादरी (एनसीटीपीपी)	1820	171.75	एसीक्यू का 99% एनसीएल आपूर्ति /कम आयात
8	रिहंद एसटीपीएस	3000	23.91	एसीक्यू का 100% एनसीएल आपूर्ति/कम आयात
9	सिंगरौली एसटीपीएस	2000	63.77	एसीक्यू का 86% एनसीएल आपूर्ति
10	रोसा टीपीपी फेज-I	1200	66.83	एसीक्यू का 72% सीआईएल आपूर्ति
11	अनपरा सी टीपीएस	1200	3.14	एसीक्यू का 98% एनसीएल आपूर्ति /कम आयात
छत्तीसगढ़				
12	डीएसपीएम टीपीएस	500	19.06	एसीक्यू का 88% एसईसीएल आपूर्ति
13	कोरबा-II	440	18.5	एसीक्यू का 96% एसईसीएल आपूर्ति /कम आयात
14	कोरबा एसटीपीएस	2600	93.18	एसीक्यू का 92% एसईसीएल आपूर्ति
15	सीपत एसटीपीएस	2980	49.41	एसीक्यू का 79% एसईसीएल आपूर्ति
गुजरात				
16	गांधी नगर टीपीएस	870	38.96	एसीक्यू का 64% सीआईएल आपूर्ति
17	उकई टीपीएस	1350	70.66	यू-5 के लिए कोयला आपूर्ति अभी शुरू की जानी है।
18	वानाकबोरी टीपीएस	1470	40.03	एसीक्यू का 72% एसईसीएल आपूर्ति
19	साबरमती (सी स्टेशन)	400	20.38	एसीक्यू का 81% एसईसीएल आपूर्ति
मध्य प्रदेश				
20	अमरकंटक एक्सटें. टीपीएस	450	22.87	एसीक्यू का 80% एसईसीएल आपूर्ति
21	संजय गांधी टीपीएस	1340	51.54	एसीक्यू का 79% एसईसीएल आपूर्ति
22	श्री सिंगाजी टीपीपी	600	6.26	एसीक्यू का 42% एसईसीएल आपूर्ति

23	विंध्याचल एसटीपीएस	4260	26.34	एसीक्यू का 94% एनसीएल आपूर्ति /कम आयात
24	बीना टीपीएस	500	0	एसीक्यू का 77% सीआईएल आपूर्ति
महाराष्ट्र				
25	भुसावल टीपीएस	1420	103.47	एसीक्यू का 88% एमसीएल आपूर्ति
26	खापरखेड़ा टीपीएस	1340	25.13	एसीक्यू का 60% एमसीएल आपूर्ति
27	पार्ली टीपीएस	1130	52.32	कम प्राप्ति - एससीसीएल/एमसीएल
28	तिरौरा टीपीएस	2640	38.77	एसीक्यू का 91% सीआईएल आपूर्ति
29	एमको वरौरा टीपीएस	600	15.25	एसीक्यू का 92% सीआईएल आपूर्ति
30	मौदा टीपीएस	1000	49.94	एसीक्यू का 75% सीआईएल आपूर्ति
आंध्र प्रदेश				
31	डॉ. एन. टाटा राव टीपीएस	1760	0.23	एसीक्यू का 51% एमसीएल आपूर्ति
32	रायलसीमा टीपीएस	1050	12.9	एसीक्यू का 87% सीआईएल आपूर्ति
33	सिम्हाद्री	2000	64.44	एसीक्यू का 72% एमसीएल आपूर्ति
तेलंगाना				
34	रामागुंडम एसटीपीएस	2600	63.27	एसीक्यू का 27% सीआईएल आपूर्ति
कर्नाटक				
35	रायचूर टीपीएस	1720	68.68	कम प्राप्ति - एसईसीएल
तमिलनाडु				
36	नॉर्थ चेन्नई टीपीएस	1830	129.46	एसीक्यू का 63% एमसीएल आपूर्ति
37	वल्लूर टीपीपी	1500	88.04	एसीक्यू का 56% एमसीएल आपूर्ति
बिहार				
38	मुजफ्फरपुर टीपीएस	220	1.36	हाई प्लांट लोड फैक्टर
झारखण्ड				
39	बोकारो `बी` टीपीएस	630	0	एसीक्यू का 37% सीआईएल आपूर्ति
ओडिशा				
40	स्टेरलाईट टीपीपी	2400	52.82	एसीक्यू का 89% एमसीएल आपूर्ति
41	कमलंगा टीपीएस	1050	37.8	कम प्राप्ति
पश्चिम बंगाल				
42	मेजिया टीपीएस	2340	86.25	यू-8 के लिए कोयला आपूर्ति अभी शुरू की जानी है।
43	बकरेश्वर टीपीएस	1050	109.91	एसीक्यू का 72% सीआईएल आपूर्ति
44	कोलाघाट टीपीएस	1260	84.42	एसीक्यू का 73% सीआईएल आपूर्ति
45	सागरदिघी टीपीएस	600	88.63	एसीक्यू का 29% सीआईएल आपूर्ति
46	संथालडिह टीपीएस	980	21.9	कोयला ब्लॉक से कम प्राप्ति

एसीक्यू = वार्षिक अनुबंधित मात्रा

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3470

जिसका उत्तर 11 अगस्त, 2014 को दिया जाना है ।

हरियाणा को विद्युत आपूर्ति

3470. श्री मोती लाल वोराः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि हरियाणा सरकार अन्य राज्यों से बिजली खरीद कर उपयोग कर रही है, यदि हां, तो प्रतिवर्ष कितनी बिजली अन्य स्रोतों से खरीदी जा रही है;

(ख) क्या यह भी सच है कि हरियाणा में ताप विद्युत संयंत्र की सात इकाइयों को नो डिमांड पर बंद किया हुआ था;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह इकाइयां कितने समय बंद रहीं;

(घ) क्या सरकार राज्यों को अन्य स्रोतों से बिजली उपलब्ध कराने से पूर्व उनके अपने स्रोतों से उत्पादित की जाने वाली बिजली की जांच करेगी; और

(ङ) यदि नहीं, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : हरियाणा में वितरण कंपनियां भी अन्य राज्यों से खरीद की गयी बिजली का उपयोग कर रही हैं । हरियाणा द्वारा वर्ष 2013-14 के दौरान आयात की गई निवल ऊर्जा 94 मिलियन यूनिट **(**एमयू**)** है ।

(ख) और (ग) : हरियाणा में ताप विद्युत संयंत्रों की इकाइयों को **"**नो डिमांड **"** के कारण बंद नहीं किया गया है । तथापि**,** कम मांग के कारण बंदी हुई है**,** जिनके ब्यौरे **अनुबंध** में दिए गए हैं ।

(घ) और (ङ) : जी**,** हाँ । केन्द्रीय उत्पादन स्टेशनों से अनावंटित विद्युत आबंटित करते समय**,** विद्युत मंत्रालय राज्य में विद्युत की समग्र उपलब्धता**,** जिसमें उनके स्वयं के स्रोतों से उत्पादित विद्युत शामिल होती है**,** की संवीक्षा करता है ।

****

अनुबंध

राज्य सभा में दिनांक 11.08.2014 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 3470 के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

****

ताप विद्युत संयंत्रों की यूनिटों की बंदी

विद्युत संयंत्र	यूनिट सं.	क्षमता (मेगावाट)	बंदी की तिथि	पुनः प्रारंभ करने की तिथि
पानीपत टीपीएस	1	110	21-सितं.-13	09-जून-14
			12-जून-14	14-जुलाई-14
			17-जुलाई-14	-
पानीपत टीपीएस	2	110	31-अक्तू.-13	09-जून-14
			12-जून-14	15-जुलाई-14
			17-जुलाई-14	-
पानीपत टीपीएस	3	110	14-सितं.-13	16-जून-14
			17-जुलाई-14	-
पानीपत टीपीएस	4	110	21-सितं.-13	16-जून-14
			22-जून-14	15-जुलाई-14
			17-जुलाई-14	-
पानीपत टीपीएस	5	210	13-जन.-14	05-जून-14
			12-जून-14	09-जुलाई-14
			18- जुलाई-14	22-जुलाई-14
			24- जुलाई-14	-
पानीपत टीपीएस	6	210	31- जुलाई-14	21-अप्रैल-14
			27-अप्रैल-14	01-मई-14
			02-मई-14	22-मई-14
			23- मई-14	30-मई-14
			30- मई-14	06-जून-14
			13-जून-14	28-जून-14
			03- जुलाई-14	10-जुलाई-14
			18- जुलाई-14	19-जुलाई-14
			26- जुलाई-14	-
पानीपत टीपीएस	7	250	28-अप्रैल-14	01-मई-14
			08-मई-14	19-मई-14
			23-मई-14	27-मई-14
			31-मई-14	04-जून-14
			26-जुलाई-14	02-अगस्त-14
पानीपत टीपीएस	8	250	02-मई-14	21-मई-14
			25-मई-14	28-मई-14
			01-जून-14	04-जून-14
			22-जून-14	27-जून-14
महात्मा गांधी टीपीएस	1	660	10-मार्च-14	20-मई-14
			23-जून-14	03-जुलाई-14
			17-जुलाई-14	26-जुलाई-14

****